सरकार

6) विभाग

क्रमांक-प06(39)राज-6/2001/6 जयपुर, दिनांक- 7.6.2003

समस्त संभागीय आयुक्त ।
समस्त जिला कलेक्टर ।

परिपत्र

इस विभाग के आदेश क्रमांक प06(21)राज-4/83 जयपुर, दिनांक 2.2.83 एवं क्रमांक प0 6(44)राज-6/2001 दिनांक 4.5.2002 के द्वारा चारागाह भूमि पर किये गये अतिक्रमणों के नियमन के संबंध में दिशा निर्देश दिये गये थे । चारागाह भूमि पर लगातार एवं निर्बाधित पुराने अतिक्रमणों के नियमन करने के संबंध में राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि :-

1) चारागाह भूमि पर 1.1.70 से पूर्व का कब्जा रिकार्ड से प्रमाणित होना चाहिये, के स्थान पर 1.1.72 से पूर्व का कब्जा रिकार्ड से प्रमाणित होना चाहिए ।

2) चारागाह भूमि के नियमन के लिए यह शर्त है कि गत दो वर्षों का कब्जा रिकार्ड से प्रमाणित होना चाहिये । इसके स्थान पर यदि कोई पिछले दो वर्षों के बेदखली के नोटिस भी प्रस्तुत कर देता है तो उसे मान लिया जावे ।

उपरोक्त दोनों संशोधनों के अलावा चारागाह भूमि पर अतिक्रमण के नियमन के लिए पूर्व में जारी किये गये उपर्युक्त परिपत्रों की शेष शर्तें यथावत रहेंगी ।

आज्ञा से,
(बी0एस0 मीणा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपियां निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मुख्यमंत्री/मुख्य सचिव/राजस्व सचिव । [illegible] ।
2. [illegible] विशिष्ठ सहायक, उप मुख्यमंत्री, राजस्व/निजी सचिव राज्यमंत्री राजस्व
3. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर ।
4. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, जयपुर ।
5. निदेशक राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय राज0 जयपुर ।
6. "राविरा" राजस्व मण्डल, अजमेर
7. अति0 निबन्धक वित्त एवं लेखा, राजस्व मण्डल अजमेर ।
8. समस्त उप शासन सचिव राजस्व विभाग
9. रक्षित पत्रावली ।

शासन उप सचिव